संख्या 493/62-2-2009-2/2(42)/1998

प्रेषक,

सुशील कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1– मुख्य अभियंता,
लघु सिंचाई विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

2– समस्त मण्डलायुक्त,
उ0 प्र0।

3– **समस्त जिलाधिकारी,**
उ0 प्र0।

लघु सिंचाई एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा अनुभाग–2 लखनऊः दिनांकः 12–फरवरी, 2009

विषयः– <u>निःशुल्क बोरिंग योजनान्तर्गत सभी श्रेणी/जाति के कृषकों हेतु बोरिंग लागत सीमा में अनुदान वृद्धि के संबंध में।</u>

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश सं0–1263/62–2–2006–2/2 (42)/98, दिनांक 31.05.2006 एंव अन्य सुसंगत शासनादेशों द्वारा निःशुल्क बोरिंग योजना के संबंध में समय–समय पर निर्गत समस्त शासनादेशों को समावेशित करते हुए इसके कियान्वयन हेतु दिशा निर्देश निर्गत किये गये हैं। शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया है कि उपर्युक्त शासनादेशों में दिये गये निर्देशों के अतिरिक्त प्रदेश में निःशुल्क बोरिंग योजनान्तर्गत कृषकों को दी जा रही सुविधाओं में वास्तविक लागत को दृष्टिगत रखते हुए व्यापक जनहित में निःशुल्क बोरिंग योजना के सामान्य जाति एवं अनुसूचित जाति/जनजाति के लघु/सीमान्त कृषकों को **सुविधायें प्रदान किये जाने हेतु तात्कालिक प्रभाव से निम्नलिखित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जायः—**

(1) निःशुल्क बोरिंग योजनान्तर्गत सामान्य जाति के लघु एवं सीमान्त कृषकों तथा अनुसूचित जाति/जनजाति के लघु एवं सीमान्त कृषकों को वर्तमान में अनुमन्य अनुदान कमशः रू0

3000/- तथा रू0 4000/- एवं रू0 6000/- को बढ़ाकर वर्तमान में वास्तविक इकाई लागत या अधिकतम अनुमन्य सीमा की धनराशि कमशः रू0-5000/-, 7000/- एवं रू0-10000/-, जो भी कम हो, अनुमन्य किया जाय, जिसमें क्षेत्रवार अनुमान की कोई आवश्यकता नहीं है।

(2) योजनान्तर्गत सामान्य जाति के लघु एवं सीमान्त कृषकों तथा अनुसूचित जाति/जनजाति के लघु एवं सीमान्त कृषकों की निःशुल्क बोरिंग पर पम्पसेट स्थापना हेतु वर्तमान में अनुमन्य अनुदान कमशः रू0 2800/-, रू0 3750 एवं रू0 5650 को बढ़ाकर पम्पसेट की वर्तमान इकाई लागत रू0 18000/- के आधार पर इकाई लागत का 25 प्रतिशत अधिकतम रू0 4500/- इकाई लागत का 33⅓ प्रतिशत अधिकतम रू0 6000/- एवं इकाई लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम रू0 9000/- कर दिया जाय।

2— इस सीमा तक उपर्युक्त शासनादेश दिनांक [illegible].05.2006 एवं अन्य सुसंगत शासनादेश संशोधित समझे जायेगें।

3— उपर्युक्त आदेशों के प्रतिकूल यदि कोई तथ्य/निर्देश पूर्व में जारी है तो उन्हें तात्कालिक प्रभाव से निरस्त समझा जाय।

भवदीय,

(सुशील कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या—493(1)/62—2—2009, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— मंत्रिमण्डलीय सचिव, उ0 प्र0 शासन।
2— मुख्य सचिव, उ0 प्र0 शासन।
3— प्रमुख सचिव, मा0 मुख्य मंत्री, उ0 प्र0 शासन।
4— कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0 प्र0 शासन।
5— प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त, नियोजन, राजस्व, कर एवं निबन्धन, उ0 प्र0 शासन।

I-b b-6 I I

Scanned by CamScanner